प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2006—07

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति,

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम –	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
भार साधक मंत्री	– माननीय श्री गणेशराम भगत,
संसदीय सचिव –	माननीय श्री छतराम देवांगन

सचिवालय

सचिव –	श्री एम0के0 राउत
अतिरिक्त सचिव–	श्री ए0 मिंज
उप सचिव –	सुश्री ओमेगा युनाइस टोप्पो

विभागाध्यक्ष

आयुक्त –	श्री बी0एल0 ठाकुर

विषय–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग–एक	
1	विभाग की संरचना	01
2	विभाग का परिचय	2–4
3	विभाग का दायित्व एवं कार्य	4–5
4	विभाग के अधीन गठित निगम/मण्डल एवं अन्य समितियां	6–8
5	महत्वपूर्ण सांख्यिकी जानकारी	9–14
	भाग–दो	
6	विभागीय बजट 2004–05, 2005–06, 2006–07	15–16
7	विभाग द्वारा संचालित योजनाएं (वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07) भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण	17–31

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
भाग–तीन		
8	विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं	32–45
9	छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	46–47
भाग–चार		
10	सामान्य प्रशासनिक विषय	48
भाग–पांच		
11	अभिनव योजनाएं	49–53
भाग–छः		
12	सारांश	54

भाग — एक

विभाग की संरचना

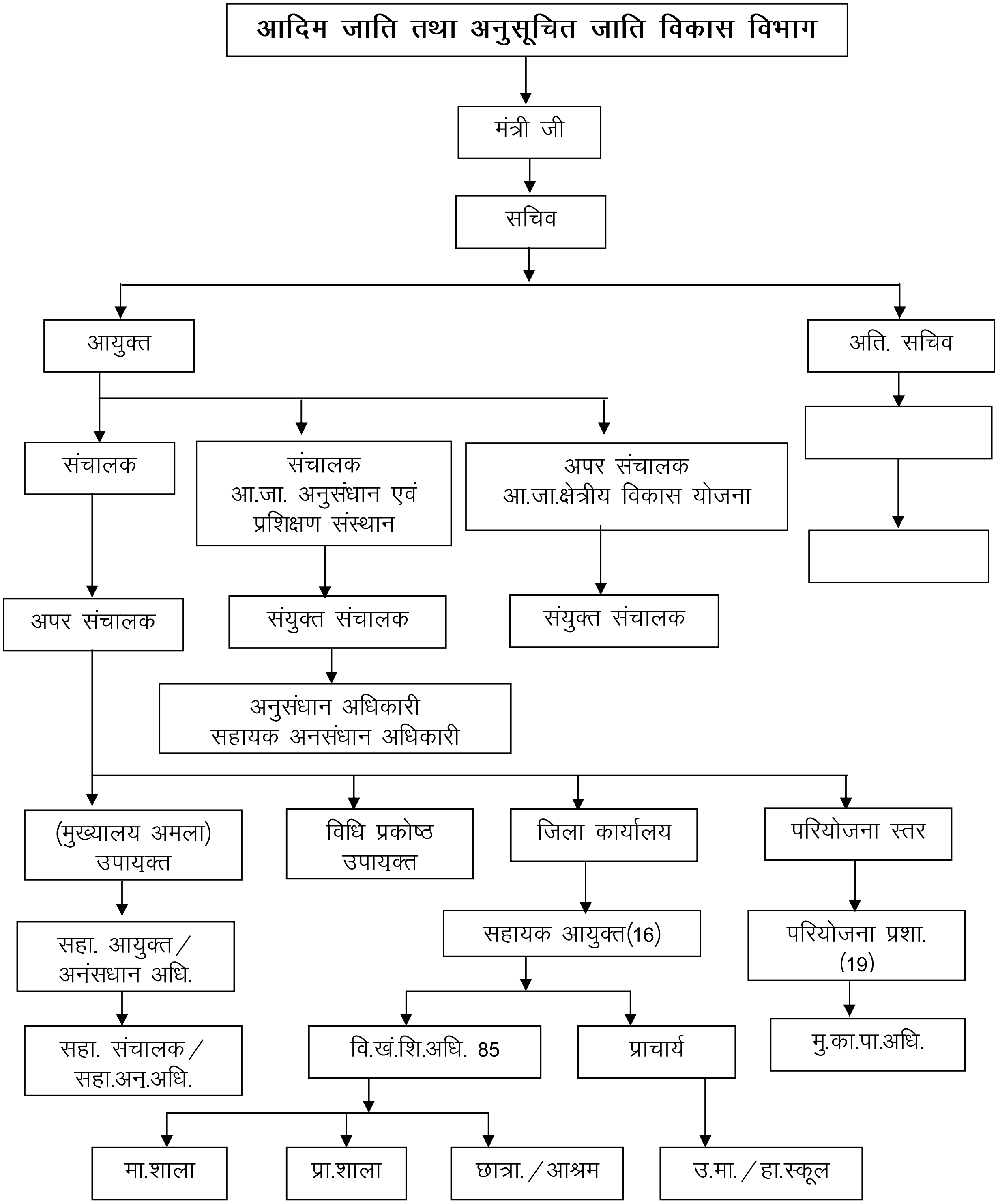
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्री जी
सचिव
आयुक्त
अति. सचिव
संचालक
संचालक
आ.जा. अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण संस्थान
अपर संचालक
आ.जा.क्षेत्रीय विकास योजना
अपर संचालक
संयुक्त संचालक
संयुक्त संचालक
अनुसंधान अधिकारी
सहायक अनसंधान अधिकारी
(मुख्यालय अमला)
उपायक्त
विधि प्रकोष्ठ
उपायक्त
जिला कार्यालय
परियोजना स्तर
सहा. आयुक्त/
अनंसधान अधि.
सहायक आयुक्त(16)
परियोजना प्रशा.
(19)
सहा. संचालक/
सहा.अन.अधि.
वि.खं.शि.अधि. 85
प्राचार्य
मु.का.पा.अधि.
मा.शाला
प्रा.शाला
छात्रा./आश्रम
उ.मा./हा.स्कूल

2. विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद–46, में सौंपे गए कर्त्तव्य ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए'' संविधान के अनुच्छेद–244 एवं संविधान के अनुच्छेद–275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद–164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएं बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास–यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियां रेखांकित की जाने लगीं है। सामाजिक क्षेत्र में इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन–प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी, विकास की यह यात्रा और लंबी है। प्रगति के अनगिनत सोपान अभी और तय किये जाने है।

प्रशासनिक संरचना :–

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री एवं माननीय संसदीय सचिव के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के ही नहीं बल्कि उनके उत्पीड़न के अंत के लिए प्रयास भी करना है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों के सांस्कृतिक विरासत को बचाते हुए समाज के अन्य पिछड़े शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित है।

अ. मंत्रालय / सचिवालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव / सचिव का पद निर्धारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यो की व्यवस्था एवं अनुश्रवण से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों / योजनाओं की समीक्षा की जाती हैं।

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव / सचिव के अधिनस्थ विभागीय कार्यो के संपादन के लिये विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कर्तव्यरत् हैं।

आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएं तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गो के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त होते है। आयुक्त मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते है। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त होते है।

विधि प्रकोष्ठ :–

विधि प्रकोष्ठ में उच्चन्यायालय / न्याधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किये जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर के अधिकारी होते है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 16 जिलों में विभागीय कार्यक्रमों / योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत है इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं यथा–छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीनस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास

खण्ड शिक्षा अधिकारी माड़ा पाकेट, लघु अंचल विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते है। प्रदेश के 85 विकास खण्ड आदिवासी विकास खण्ड घोषित है। इन विकास खण्ड़ों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं 85 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पाकेट 02 लघु अंचल 06 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण संचालित है।

द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना संचालित है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते है। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना संचालित है।

3. विभाग का दायित्व एवं कार्य :—

- संविधान की पांचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिये प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के शौक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजन के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आबंटन उपलब्ध कराना नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन।
- विशेष पिछड़े जनजाति समूहों के विकास के लिये योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन ।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना ।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :–

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य ।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण ।
- उपयोजना क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं का संचालन ।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिये बजट आबंटन उपलब्ध कराना । मांग संख्या 33,41,15,64,77,49 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन ।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आबंटन को निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण ।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन । केन्द्र प्रवर्तित एवं केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिये योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन ।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण–पत्रों का परीक्षण ।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम– 1955 के राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा ।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत परिवर्तन कर नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैधानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।

4. विभाग के अधीन गठित निगम/मंडल एवं अन्य समितियॉ

1. आदिम जाति मंत्रणा परिषद :–

संविधान की पांचवी अनुसूची के प्रावधन अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय आदिम जाति मंत्रणा परिषद गठित है जिसकी बैठक दिनांक 18.10.06 को आयोजित की गई थी.

2. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति :–

राज्य में अनुसूचित जाति और अनु.जन जाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989 के प्रावधानों के क्रियानवयन तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं की समीक्षा हेतु मान.मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानटरिंग समिति गठित है। समिति की बैठक दिनांक 20.10.06 को आयोजित की गई थी।

3. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :–

राज्य अनु.जन जाति आयोग अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में तीन सदस्यीय आयोग गठित है। आयोग के अध्यक्ष मान. श्री तारासिंह राठिया तथा सदस्य श्री राजा राम तोडम एवं मान.श्री फलेन्द्र सिंह है।

4. राज्य अल्प संख्यक आयोग :–

राज्य अल्प संख्यक आयोग अधिनियम 1996 के प्रावधान अनुसार राज्य में तीन सदस्यीय अल्प संख्यक आयोग गठित है। मान. श्री इनायत अली आयोग के अध्यक्ष तथा मान.श्री डॉ.दीपक क्लाडियस एवं मान. श्री दिलीप सिंह होरा आयोग के सदस्य है।

5. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :–

अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियेां के सत्त्त पहचान ,खोजबीन तथा फर्जी जातियों के निष्काषन करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लियें सुझाव देने तथा इस वर्ग के हितप्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार ,मंत्री परिषद के आदेश **7.12.2005** के निर्णय के

परिपालन में अधिसूचना दिनांक 21.12.05 द्वारा तीन सदस्यीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयेाग का गठन किया गया है । अध्यक्ष मान. श्री नारायण चन्देल है।

6. राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम :–

राज्य में अनु0जाति0 अनुसूचित जनजाति अल्प संख्यक पिछड़ा वर्ग के लोगो को स्वरोजगार उलब्ध कराने हेतु अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम संचालित है निगम की सभी जिलो में जिला इकाईयां कार्यरत है ।

7. राज्य हज कमेटी :–

हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 06.03.2006 में हज कमेटी गठित है। वर्ष 2006–07 में हज कमेटी की स्थापना व्यय हेतु राशि रू0 40.00 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया है। हज कमेटी ने वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य हैं।

8. राज्य वक्फ बोर्ड:–

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ0ग0 राज्य वक्फ बोर्ड का गठन अधिसूचना दिनांक 21.07.03 द्वारा किया गया है बोर्ड मे अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य है। अध्यक्ष मान. श्री मोहम्मद सलीम अशरफी है।

9. राज्य उर्दू अकादमी :–

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.03 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया। अकादमी का कार्य उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण साहित्य के प्रकाशन सहित्य सम्मेलन परिचर्चा गोष्ठियो आदि का आयोजन करना है। अकादमी में एक अध्यक्ष्य, उपाध्यक्ष तथा 18 अन्य सदस्य के मनोनयन का प्रावधान है ।

10. वक्फ अधिकरण :–

वक्फ संपम्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिये राज्य मे वक्फ अधिकरण गठित है पीठासीन अधिकारी की पद स्थापन कर ली गई है। वक्फ अधिकरण द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी के पद पर मान. श्री एस.के. सिंह पदस्थ है।

11. वक्फ कमिश्नर :–

वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार राज्य में एक सर्वे आयुक्त सभी कलेक्टर अपर सर्वे आयुक्त तथा सभी अनुभागीय अधिकारीयों को उनके अधिकार क्षेत्रा के लिये सहायक सर्वे आयुक्त नियुक्त किया गया है।

12. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना :–

सभी 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डल गठित है। जिसके अध्यक्ष शासन द्वारा मनोनीत मंत्री /विधायक /जिलापंचायत अध्यक्ष /सदस्य है।

13. विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण :–

छ0ग0 राज्य में निवासरत् 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रदेश स्तर पर 6 विशेष अभिकरण हेतु अभिकरण स्तर पर गवर्निंगं बाडी गठित है। जिसका अध्यक्ष संबंधित वि.पि.जनजाति का सदस्य मनोनित किया गया है।

14. आवासीय विद्यालय समिति :–

भारत सरकार द्वारा निर्देशित राज्य के आठ आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए एक आवासीय समिति गठित है। मान.विभागीय मंत्री इस समिति के संचालक मंडल के पदेन अध्यक्ष तथा आयुक्त आदिम जाति तथा अनु.जाति वि.विभाग पदेन सचिव है।

15. अनुसूचित जाति आयोग :–

राज्य में अनुसूचित जातियों के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री चोवादास खाण्डेकर एवं दो सदस्य क्रमशः श्री भूषण लाल जांगडे एवं श्री रामजी भारती हैं।

5. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	राज्य का क्षेत्रफल		135133 वर्ग कि.मी.
	1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88वर्गकिमी.
	1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	88000 वर्गकिमी.
	1.3	राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12
2.	जनसंख्या (2001)		
	2.1	कुल जनसंख्या	208.34 लाख
	2.2	अनुसूचित जनजाति	66.16 लाख 31.76%
	2.3	अनुसूचित जाति	24.18लाख 11.61%
3.	साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2001)		
	3.1	औसत	64.70%
	3.2	पुरूष	77.4%
	3.3	महिला	51.90%
4.	जिला		16
4.1	पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर ।		07
4.2	आंशिक रूप से आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर– चांपा, कबीरधाम		09
5.	आदिवासी विकासखंड		85
6.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना		19
7	माडा पाकेट		09
8.	लघु अंचल		02
9.	विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण		06

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किये गये हैं ।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (संपूर्ण) ।
2. कोरिया जिला (संपूर्ण) ।
3. बस्तर जिला (संपूर्ण) ।
4. दंतेवाड़ा जिला (संपूर्ण) ।
5. कांकेर जिला (संपूर्ण) ।
6. कोरबा जिला (संपूर्ण) ।
7. जशपुर जिला (संपूर्ण) ।
8. बिलासपुर जिले के मरवाही आदिवासी विकासखंड ,गौरेला आदिवासी विकास खण्ड एव गौरेला सामुदायिक विकासखंड का कोटा राजस्व निरीक्षण खंड ।
9. दुर्ग जिले की बालोद तहसील का डौण्डी आदिवासी विकासखंड ।
10. राजनांदगांव जिले की राजनांदगांव तहसील का मानपुर, मोहला (राजनांदगांव एवं चौकी) आदिवासी विकासखंड ।
11. रायपुर जिले की बिन्द्रानवागढ़ तहसील के गरियाबंद, मैनपुर एवं छुरा आदिवासी विकास खंड ।
12. धमतरी जिले का सिहावा (नगरी) आदिवासी विकासखंड ।
13. रायगढ़ जिले की उदयपुर एवं घरघोड़ा तहसीलें तथा रायगढ़ तहसील का खरसिया आदिवासी विकासखंड का भाग ।

प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :–

क0	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1.	**बस्तर**	1. जगदलपुर		
		2. कोण्डागांव		
		3. नारायणपुर		
2.	**कांकेर**	4. भानुप्रतापपुर		
3.	**दन्तेवाड़ा**	5. दन्तेवाड़ा		
		6. कोन्टा		
		7. बीजापरु		
4.	**रायपुर**	8. गरियाबन्द	1. बालोदाबाजार	1. धुरीबंधा
5.	**धमतरी**	9. नगरी	2. गंगरेल	
6.	**महासमुंद**		3. महासमुंद–1	
			4. महासमुंद–2	
7.	**दुर्ग**	10. डोण्डीलोहार		
8.	**राजनांदगांव**	11. राजनांदगांव	5. नचनियां	2. बछेराभाटा
9.	**कबीरधार**		6. कबीरधाम	
10.	**सरगुजा**	12. अंबिकापुर		
		13. सूरजपुर		
11.	**कोरिया**	14. पाल		
		15. बैकुण्ठपुर		
12.	**कोरबा**	16. कोरबा		
13.	**बिलासपुर**	17. गौरेला		
14.	**जांजगीर–चांपा**		7. रूकजा	
15.	**रायगढ़**	18. धरमजयगढ़	8. गोपालपुर	
16.	**जशपुर**	19. जशपुरनगर	9. सारंगढ़	

6. विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी (एक नजर में)

अनु. क.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमो की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री. मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक	आश्रम	योग	
1.	अनुसूचित जनजाति	901	102	887	1890	87520
2.	अनुसूचित जाति	216	45	28	289	10207
3.	अन्य पिछड़े वर्ग	01	04	—	05	350
	योग	**1118**	**151**	**915**	**2184**	**98077**

विभागीय छात्रावास की जानकारी
शैक्षणिक सत्र 2006—07
अनुसूचित जनजाति छात्रावास

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावास की संख्या			स्वीकृत सीट्स			शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय हेतु प्रदत्त आवंटन
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	
पोस्ट मैट्रिक	50	52	102	2955	2950	5905	104.48 भोजन सहाय
प्री—मैट्रिक	688	213	901	21886	8944	30830	1232.70 शिष्यवृत्ति
योग	**738**	**265**	**1003**	**24841**	**11894**	**3674 5**	

विभागीय छात्रावास की जानकारी
शैक्षणिक सत्र 2006–07
अनुसूचित जाति छात्रावास

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावास की संख्या			स्वीकृत सीट्स			शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय हेतु प्रदत्त आवंटन
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	
पोस्ट मैट्रिक	29	16	45	1700	895	2595	47.21 भोजन सहाय
प्री–मैट्रिक	162	54	216	4586	1821	6407	294.54 शिष्यवृत्ति
योग	**191**	**70**	**261**	**6286**	**2716**	**9002**	

नोट :– 1. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत् छात्र/छात्राओं को शिष्यवृत्ति नहीं दी जाती है। केवल छात्रावासी दर से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

2. इसके अतिरिक्त उन्हे वर्ष 2006–07 में प्रति माह 200 रूपये दर से पौष्टिक आहार के रूप में भोजन सहाय राशि दी जाती है।

विभागीय आश्रमों की जानकारी
शैक्षणिक सत्र 2006–07
अनुसूचित जनजाति आश्रम

आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स				शिष्यवृत्त हेतु प्रदत्त आवंटन
	बालक	कन्या	संयुक्त	योग	बालक	कन्या	संयुक्त	योग	
माध्यमिक आश्रम	59	67	60	186	3345	4365	5750	13460	1730.40
प्राथमिक आश्रम	330	180	191	701	14730	8440	15155	38325	
योग	**389**	**247**	**251**	**887**	**18075**	**12805**	**20905**	**51785**	

विभागीय आश्रमों की जानकारी
शैक्षणिक सत्र 2006–07
अनुसूचित जाति आश्रम

आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स				शिष्यवृत्त हेतु प्रदत्त आवंटन
	बालक	कन्या	संयुक्त	योग	बालक	कन्या	संयुक्त	योग	
माध्यमिक आश्रम	03	04	00	07	90	185	00	275	43.83
प्राथमिक आश्रम	10	11	00	21	440	490	00	930	
योग	**13**	**15**	**00**	**28**	**530**	**675**	**00**	**1205**	

विभागीय छात्रावास की जानकारी
शैक्षणिक सत्र 2006–07
पिछड़ा वर्ग छात्रावास

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावास की संख्या			स्वीकृत सीट्स			विशेष
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	
पोस्ट मैट्रिक	00	04	04	00	300	300	छात्रावास में निवासरत् छात्राओं को केवल छात्रावासी दर पर पो.मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
प्री–मैट्रिक	01	00	00	50	00	50	
योग –	**01**	**04**	**04**	**50**	300	350	

भाग — दो

विभागीय बजट (2004–05)

(रूपये लाखों में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय %
1	2	3	4	5
1.	आदिवासी उपयोजना	38534.21	28694.42	74.46
2.	अनुसूचित जाति उपयोजना	8457.96	5272.34	62.33
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2450.14	2012.72	82.14
4.	अन्यान्य बजट (अनु.ज.जा.)	38589.87	35804.84	92.78
5.	अन्यान्य बजट (अनु.जाति)	1633.61	1394.12	85.33
	योग –	89665.79	73178.44	81.57

विभागीय बजट (2005–06)

(रूपये लाखों में)

क.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय %
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	आदिवासी उपयोजना	58656.20	45130.08	76.93
2.	अनुसूचित जाति उपयोजना	9445.54	6397.61	66.32
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3689.93	3238.73	87.77
4.	अन्यान्य बजट (अनु.ज.जा.)	43029.90	33670.17	78.25
5.	अन्यान्य बजट (अनु.जाति)	1722.85	1524.82	88.50
	योग –	**116744.42**	**89961.41**	**77.06**

विभागीय बजट (2006–07) दिसम्बर 2006 की स्थिति में

(रूपये लाखों में)

कमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	आदिवासी उपयोजना	51608.232	24460.59	47.40
2.	अनुसूचित जाति उपयोजना	9766.09	3256.52	33.34
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4007.47	1654.27	41.28
4.	अन्यान्य बजट (अनु.ज.जा.)	43556.48	28157.22	64.65
5.	अन्यान्य बजट (अनु.जाति)	1849.87	959.99	51.89
	योग –	**110788.142**	**58488.59**	**52.79**

7. विभाग द्वारा संचालित विकास की योजनाएँ

(अ) राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जनजाति)

(राशि रूपये लाखों में)

क.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05				वर्ष 2005–06				वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	राज्य छात्रवृत्ति	2691.58	2236.29	छात्र	658610	2800.00	2671.88	छात्र	679578	3075.50	1476.22	छात्र	671413
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	790.00	773.62	छात्र	46017	780.00	619.99	छात्र	65939	780.00	445.35	छात्र	44875
3.	आश्रम शाला योजना	2840.24	2800.73	छात्र	42088	4958.75	3916.59	छात्र	44435	5382.24	2712.29	छात्र	49420
4.	छात्रगृह योजना	16.50	14.73	छात्र	770	16.50	9.21	छात्र	6399	16.50	0	छात्र	-
5.	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	34.95	30.37	छात्र	7499	40.00	26.53	छात्र	17686	40.00	6.68	छात्र	4453
6.	छात्रावास योजना	3468.39	2995.47	छात्र	28497	3912.78	3051.91	छात्र	32190	4118.79	1801.40	छात्र	34702
7.	प्राथमिक शालाएं	18275.74	17178.32	संस्था	8545	21643.28	15672.77	छात्र	1024867	22552.07	11523.89	छात्र	925906

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	माध्यमिक शालाएं	9096.08	8932.21	संस्था	2589	10244.51	8361.36	छात्र	113763	10326.39	6788.79	छात्र	326463
9.	हाई स्कूल	584.08	529.72	संस्था	336	925.20	673.33	छात्र	109749	1699.09	502.92	छात्र	124570
10.	उच्च.माध्यमिक विद्यालय	81246.31	7406.68	संस्था	302	10105.79	696.65	छात्र	22751	9609.36	5128.19	छात्र	112168
11.	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	911.41	799.13	संस्था	30	1056.53	874.19	संस्था	32	1099.81	396.04	संस्था	33
12.	प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजनाएं	5.25	5.25	छात्र	223	5.50	3.42	छात्र	223	5.50	0.45	छात्र	223
13.	आगमन भत्ता	61.05	30.00	छात्र	3412	35.00	24.71	छात्र	4050	35.00	23.28	छात्र	4500
14.	विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओ का संचालन	895.07	837.83	संस्था	22	944.88	751.51	छात्र / छाताएं	2250	994.10	487.90	छात्र / छाताएं	2250

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05 (मार्च)				वर्ष 2005–06 (दिसम्बर)				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	2620.07	2233.55	छात्र	1145000	0	0	छात्र / छात्राएं	1250842	0	0	0	0
16.	मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना	291.06	222.31	छात्र	231	550.00	527.72	छात्र	228	350.00	4.35	छात्र	861
17.	प्रशिक्षण सह–उत्पादन	34.93	28.40	संस्था	06	42.35	27.62	संस्था	06	30.70	14.74	संसथा	06
18.	छात्रावास आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	1862.00	1012.91	संस्था	704	1799.51	1780.64	कार्य	272	2888.80	2490.36	कार्य	76

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार एवं लोक कला महोत्सव	5.00	5.00	व्यक्ति / संस्था	02 व्यक्ति / संस्था	15.00	13.70	व्यक्ति / संस्था	01 व्यक्ति / संस्था लोक कला महोत्सव आयोजन	15.00	10.50	व्यक्ति / संस्था	02 व्यक्ति / संस्था तथा लोक कला महोत्सव आयेजन
20.	आदिवासी अन्वेषण संस्था	21.82	12.40	संस्था	01	36.90	0.37	संस्था	01	209.90	1.84	संस्था	01
21.	हाई स्कूल में अध्ययनरत अनु.ज.जा. छात्राओं को निःशुल्क सायकल	233.42	211.96	छात्रा	12570	393.90	163.41	छात्रा	16684	530.79	458.15	छात्रा	12198

	प्रदाय												

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना	110.00	110.00	छात्रा	46390	606.98	592.75	छात्रा	203344	450.00	450.00	छात्रा	305790
23	छात्र भोजन सहाय योजना	-	-	.	-	95.20	74.53	छात्र	4050	150.00	84.30	छात्रा	4500
	योग –	**126094.61**	**48406.88**			**61008.56**	**46799.79**		**64359.54**	**64209.54**	**34723.34**		

विभाग द्वारा संचालित विकास की योजनाएँ

(अ) राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जाति)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	राज्य छात्रवृत्ति	1304.0 3	1113.58	छात्र	402250	1390.00	1220.03	छात्र	3410224	1450.00	718.25	छात्र	248607
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	250.00	232.15	छात्र	15315	683.00	569.06	छात्र	38240	461.00	269.97	छात्र	29489
3.	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति	112.24	104.08	छात्र	14379	150.00	128.08	छात्र	10899	137.00	22.53	छात्र	11609
4.	छात्रगृह योजना	-	-	-	-	25.00	4.76	छात्र	841	12.00	6.88	छात्र	-
5.	आश्रम शाला योजना	333.12	280.53	छात्र	670	353.44	231.66	छात्र	705	360.54	108.68	छात्र	1194
6.	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	338.00	319.17	संस्था	03	140.00	137.57	संस्था	03	140.00	26.65	संसथा	03
7.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	51.61	19.45	केन्द्र प्रव. में प्रावधान है	02	53.95	28.18	केन्द्र प्र.व. मं प्रावधान है	02	57.20	10.86	केन्द्र प्र.व. मं प्रावधान है	02
8	छात्रावास योजना	360.98	340.20	छात्र	5358	833.91	738.73	छात्र	8306	1318.00	702.34	छात्र	8453

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	निःशुक्ल गणवेश प्रदाय योजना	156.80	150.28	छात्रा	51577	250.00	69.44	छात्रा	28000	55.00	7.04	छात्रा	28520
9.	आगमन भत्ता	12.00	8.32	छात्र	1169	12.00	7.81	छात्रा	2020	12.00	9.61	छात्रा	5754
10.	प्रशिक्षण सह–उत्पादन केन्द्र	20.98	19.45	संस्था	02	15.67	10.46	संस्था	02	15.60	7.33	संस्था	02
11.	बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र	5.98	7.01	संस्था	01	10.35	5.05	संस्था	01	10.48	3.24	संस्था	01
12.	हाई स्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	50.80	50.79	छात्रा	2989	41.71	38.86	छात्रा	2366	71.00	57.60	छात्रा	1562
13	छात्र भोजन सहाय योजना	-	-	.	-	26.00	22.67	छात्र	2000	52.00	39.78	छात्र	2048
	योग :–	**2996.54**	**2645.01**			**3985.03**	**3212.36**			**2833.82**	**1288.42**		

अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	राज्य छात्रवृत्ति	800.00	790.20	छात्र	681524	1832.00	1587.76	छात्र	826000	1650.00	1626.00	छात्र	386335
2.	पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति	800.00	645.80	छात्र	63779	1400.00	1360.48	छात्र	58000	1775.00	686.00	छात्र	62407
	योग :–	**1600.00**	**1436.00**			**3232.00**	**2948.24**			**3425.00**	**2312.00**		

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना :–

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम छात्रवृत्ति	34.00	8.00	छात्र	1062	34.00	34.00	छात्र	10899	34.00	0	छात्र	11609
2.	अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजना	5.00	3.72	आयोजन	11	5.00	3.17	आयोजन	16 सद्भावना शिविर	5.21	0	-	-
3.	अस्पृश्यता निवारणार्थ प्रचार–प्रसार	5.00	3.00	आयोजन	13	5.00	1.10	प्रावीण्य पुस्तिका	500	0	0	-	-
4.	अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम पुनर्वास	248.84	94.34	व्यक्ति	1052	248.84	91.14	व्यक्ति	1073 व्यक्ति	248.84	14.03	-	-

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
5.	छात्रावास आश्रम भवन (64/4202)	400.00	180.16	संस्था	44	485.35	436.40	कार्य	12	350.00	0	कार्य	0
6	छात्रा. तथा आश्रम भवन लघु निर्माण (41/4225)	4857.00	1750.85	संस्था	151	2428.50	834.25	कार्य	70	800.00	0	कार्य	0
7.	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	187.31	50.00	संस्था	01	186.40	57.74	-	-	194.09	34.56	-	-
8.	छात्रावास (66/2225)	11.20	8.00	संस्था	4	0	0	-	-	0	0	-	-
9.	छात्रावास लघु निर्माण (66/4225)	111.74	44.11	संस्था	-	203.60	181.52	कार्य	04	0	0	0	0
10	ग्रेन बैंक योजना	-	-	–	-	2597.27	36.68	-	-	100.00	0	-	-
11.	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन (82/2236)	-	-	–	-	6728.36	6381.10	छात्र	1250842	6044.00	3782.54	छात्र	1262368
	योग–	**5860.09**	**2142.18**			**12922.32**	**8057.10**			**7776.14**	**3831.13**		

(स.) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं :–

क.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,		वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	7	8	11	12
1.	अन्तर्राष्ट्रीय निधि कृषि विकास सहायता अंतर्गत आदिवासी विकास समिति को अनुदान	300.00	300.00	500.00	500.00	1000.00	400.00

(द.) विशेष केन्द्रीय सहायता (विशेष घटक योजना) :–

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,			वर्ष 2005–06			वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में		
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	19	11
1.	आदिवासी कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन	131.04	100.00	86.27 लाभान्वित 17254	154.40	45.78	40.16	260.00	108.62	84.94

(ई.) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना) :–

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में			
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि
1.	आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास	6.00	6.00	6.00	24	76.00	50.00	55.80		115.00	50.00	0	
2.	विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण	300.00	240.58	240.58	174	350.00	350.00	350.00		400.00	400.00	144.00	
3	एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम	3908.00	3203.08	3201.95	1588	4937.42	4934.79	4842.07		4363.57	4146.21	0	
.4	माडा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम	253.00	253.00	253.00	78	360.60	360.60	360.60		360.60	360.60	17.92	
5.	आदिवासी कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन	139.20	139.20	139.20	27840	300.14	217.80	197.42		300.14	289.70	95.17	
6	वन ग्रामों का विकास	-	-	-	-	4359.00	4359.00	4359.00	336 ग्राम 3610 कार्य	1246.00	1092.67	-	61 ग्राम

	योग –	**4606.20**	**3841.86**	**3840.73**		**10383.16**	**10272.19**	**10164.89**		**6785.31**	**6339.18**	**257.09**	

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना :–

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सामान्य योजना –													
1.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	-	-	-	-	0	0	0		0	0	0	
2.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	22.78	22.78	22.78	127	96.17	0	0		96.17	0	0	
3.	अनु.जन जाति छात्रों को प्रावीण्य में उन्नयन	21.00	19..00	15.26	-	21.00	19.545	15.71		21.00	19.006	0	

	योग :–	**43.78**	**41.78**	**38.04**		**117.17**	**19.545**	**15.71**		**117.17**	**19.006**	**0**	

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आदिवासी उपयोजना													
4.	आदिवासी विद्यालय समिति को अनुदान (अनुच्छेद 275 (1))	800.00	285.00	285.00	8 संस्था	100.00	0	0		100.00	0	0	
5.	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	240.00	70.01	70.01	7866	210.00	195.60	195.60		300.00	15.40	15.40	
6.	आदिवासी क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275 (1))	1870.35	1870.3 5	1748.3 5	294	4551.90	4209.41	4088.78		3635.46	2435.65	0	
7.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	150.00	35.00	29.92	4387	2059.96	1254.40	1047.24		884.00	853.71	0	

	योग –	**3060.35**	**2260.36**	**2133.28**		**6921.86**	**5659.41**	**5331.62**		**4919.46**	**3304.76**	**15.40**	

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2004–05,				वर्ष 2005–06				**वर्ष 2006–07 दिसम्बर 2006 की स्थिति में**			
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
विशेष घटक योजना													
8	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1967.79	1567.79	1124.49	65608	938.09	526.00	526.00		1100.00	0	0	
9.	अनु. जाति छात्रों के प्रावीण्य में उन्नयन	40.85	7.05	6.28	59	40.85	10.50	7.37		10.50	0	0	
	योग –	**2008.64**	**1574.84**	**1130.77**		**978.94**	**536.50**	**533.37**		**1110.50**	**0**	**0**	

भाग – तीन

8. विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख योजनाऐं

➢ शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन	➢ पाठ्य पुस्तकों का वितरण
➢ विभागीय छात्रावासों का संचालन	➢ मध्यान्ह भोजन कार्यकम
➢ विभागीय आश्रमों का संचालन	➢ विश्व खाद्य कार्यक्रम
➢ राज्य छात्रवृत्ति	➢ जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना
➢ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	➢ छात्र भोजन सहाय योजना
➢ बालिकाओं को गणवेश	➢ क्षेत्रीय विकास योजनाऐं
➢ साईकिल प्रदाय योजना	➢ देवगुड़ी का विकास
➢ सांस्कृतिक दलों को सहायता	➢ विशेष शिक्षण केन्द्र योजना
➢ आदर्श शाला पुरूस्कार	➢ एयर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना
➢ आदर्श शिक्षक पुरस्कार	➢ लोक मित्र (नाई पेटी) योजना
➢ मंगल भवन निर्माण	

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी

1. शैक्षणिक गतिविधियां :—शिक्षा संबंधी सांख्यिकीय जानकारी

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की जानकारी निम्नानुसार है:—

संस्था का नाम	संख्या	छात्र संख्या
प्राथमिक शाला	13442	925906
माध्यमिक शाला	2590	326463
हाई स्कूल	365	124570
उच्चतर माध्य. शाला	422	112168
आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला(बालक)	05	1295
कन्या शिक्षा परिसर	03	735
कन्या शिक्षा परिसर(प्राथमिक स्तर)	02	200
गुरूकुल विद्यालय	01	245
खेल परिसर	12	1200
एकलव्य अवासीय विद्यालय	08	960

आदिवासी क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2006—07 में 81 हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डी स्कूलों में उन्नयन किया गया है। इसके अन्तर्गत दूरस्थ अंचल के करीब 3000 छात्रों को शैक्षणिक लाभ मिलेगा। इस तरह 131 माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने से आदिवासी क्षेत्र की 2500 बच्चों को उन्नयीत संस्थाओं का लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार वर्ष 2007—08 में 97 हाईस्कूलों का उच्चतर माध्यमिक शालाओं में उन्नयन एवं 150 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव है। इससे लगभग 15000 विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेगें।

2. राज्य छात्रवृत्तिः–

- प्रदेश के लगभग 14.00 लाख आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्राओं को जो विभिन्न स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् हैं, के शैक्षणिक विकास एवं प्रोत्साहन के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

- कक्षा 3 से 5वीं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को तथा कक्षा 6वीं से 10वीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र/छात्राओं को तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दरे इस प्रकार है :–

1. कक्षा 3 री से 5 वीं (छात्राऐ) – रूपये 250 प्रति वर्ष (10 माह हेतु)

2. कक्षा 6 वीं से 8 वीं :–

अ. बालक – रू. 300 प्रति वर्ष (10माह हेतु,अ.जा., अ.ज.जा.)
रूपये 150 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, पि.वर्ग)

ब. बालिका – रू. 400 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, अ.जा.,अ.ज.जा.)
रूपये 225 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, पि.वर्ग)

3. कक्षा 9 वीं से 10 वीं :–

अ. बालक – रू. 400 प्रति वर्ष (10 माह हेतु,अ.जा., अ.ज.जा.)
रूपये 225 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, पि.वर्ग)

ब. बालिका – रू. 500 प्रति वर्ष (10 माह हेतु अ.जा., अ.ज.जा.)
रूपये 300 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, पि.वर्ग)

- छात्रवृत्ति का भुगतान प्रथम चार माह के लिए सितम्बर तक तथा शेष छः माह के लिए जनवरी तक भुगतान किए जाने के निर्देश है।
- वर्ष 2006–07 के लिए छात्रवृत्ति की भुगतान की स्वीकृति आदेश जारी किए जाकर प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसमें अब तक उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति के 671413 अनुसूचित जाति के 248607 एवं पिछड़ा वर्ग के 600521 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए है।

3.पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनु0जा0 एवं अ0ज0जा0):–

- कक्षा 11वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। रूपये 1. 00 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं। छात्रवृत्ति की दरे निम्नानुसार है :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरे (माहवार रूपये)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह–1– औषधि (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु–चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी–इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम (एम. फिल, पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान)	740	330
समूह–2– समूह–1 में शामिल न किए गए अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी ए/आई सी डब्ल्यू ए/सी एस आदि पाठ्यक्रम। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम।	510	330
समूह–3– स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	355	185
समूह –4 – समूह '2' या '3' में शामिल न किए गए 10+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई टी आई पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्र (यदि ाठ्यक्रम में पढ़ने के कम मैट्रिकुलेशन हो)	235	140

4. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पिछड़ा वर्ग)

- पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रू. 9000/– तक वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र/छात्राओं को पूर्ण छात्रवृत्ति की पात्रता तथा 9001/– से 25000/– तक की वार्षिक आय होने पर छात्र/छात्राओं को आधी छात्रवृत्ति की पात्रता हैं।

- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैः–

समूह	छात्रवृत्ति की दरे (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ –मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ– डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ– सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई– सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेबल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स– कक्षा – 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा – 12 वीं		100	110	55	70

- छात्रवृत्ति की भुगतान की स्वीकृति आदेश जारी किए जाकर अब तक उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति के 44875 तथा अनुसूचित जाति के 29489 एवं पिछड़ा वर्ग के 52648 छात्र/छात्राऐं लाभान्वित हुए है।

- छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य देय राशि (Excluding amount refundable to the student after complition of the course) की भी प्रात्रता होती है।

5- अस्वच्छ धंधें में कार्यरत् लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति :–

➢ अस्वच्छ व्यवसाय जैसे मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारना, शुष्क शौचालयों की सफाई करने वालों, चर्मशोधन से जुड़े लोगों के बच्चों को प्री0मै0 स्तर तक (कक्षा 10वीं तक) छात्रवृत्ति दी जाती है।

➢ उपर्युक्त छात्रवृत्ति राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त देय है, जिसके लिए दरें निम्नानुसार हैः–

➢ **दिवा छात्रों के लिए – छात्रवृत्ति की दरें**

1 से कक्षा 5 वीं	–	40 रूपये प्रतिमाह (10 माह हेतु 400 रूपये)
कक्षा 6 वीं से 8वीं	–	60 –''– –''– (10 माह हेतु 600 रूपये)
कक्षा 9 वीं से 10वीं	–	75 –''– –''– (10 माह हेतु 750 रूपये)

➢ **छात्रावास में रहने के लिए छात्रवृत्ति की दरें**

3 से 8 वीं	–	300 रूपये प्रतिमाह (10 माह हेतु 3000 रू.)
9 वीं से 10 वीं	–	375 रूपये प्रतिमाह (10 माह हेतु 3750 रू.)

➢ उपर्युक्त के अतिरिक्त दिवा छात्रों/छात्रावासी छात्रों को क्रमशः रूपये 550 तथा रूपये 600 वार्षिक तदर्थ अनुदान दिया जाता है।

➢ इस योजना के लिए वर्ष 2006–07 में राशि रूपये 273.44 लाख का बजट प्रावधान है।

➢ इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 12214 छात्र/छात्राओं के लिए राशि रूपये 201.12 लाख की स्वीकृति दी गई है।

➢ विगत वर्षों के लंबित भुगतान सहित इस वर्ष 11609 छात्र/छात्राओं को राशि रूपये 97. 45 लाख का वितरण किया जा चुका है।

6- निःशुल्क गणवेश प्रदाय :–

- प्रदेश आदिवासी अंचल में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने अल्प व्यय में शिक्षा त्यागने की प्रवृत्ति कम करने एवं शिक्षा के प्रति सतत जागरूकता बढ़ाने के लिए आदिवासी विकास खण्ड़ों में अध्ययनरत 334310 छात्राओं को गणवेश वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष से विशेष पिछड़ी जनजातियों के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय करने हेतु इन्हें योजना में शामिल किया गया है।
- वर्ष 2006–07 में वित्तीय प्रावधान एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार हैः

(राशि लाखों में)

वर्ग	प्रावधान	भौतिक लक्ष्य
अनुसूचित जनजाति	450.00	305790
अनुसूचित जाति	55.00	28520

7. जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजनाः–

- शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ मानदंड स्थापित करने वाले मंहगे पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं की मंहगी फीस के कारण इन विद्यालयों में उच्च समभ्रान्त परिवार के बच्चे ही प्रवेश ले पाते है। प्रतिभावान गरीब आदिवासी छात्र भी इससे वंचित रह जाते है, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के माध्यम से प्रतिभावान आदिवासी छात्रों को राज्य स्तर पर चयन कर, राज्य एवं राज्य के बाहर क चयनित पब्लिक स्कूलों में कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
- इस योजना में वर्ष 2006–07 में 150 छात्र/छात्रायें प्रवेशित हैं।
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में रूपये 350.00 लाख का प्रावधान है।

8. सरस्वती सायकल प्रदाय योजनाः–

- आदिवासी क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति नदी, पहाड़, ग्रामों से ग्राम तक की दूरी एवं विरल जनसंख्या के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की हाईस्कूल तक की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु सायकिल प्रदाय करने की योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई है।
- इस वर्ष सायकल का क्रय सी0एस0आई0डी0सी0 के माध्यम से किया जा रहा है।

➢ वर्ष 2006–07 में वित्तीय प्रावधान एवं लक्ष्य का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

वर्ग	प्रावधान	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
अनुसूचित जाति	71.00	1711	1562
अनुसूचित जनजाति	530.79	12840	12198
योग	**601.79**	**14551**	**13710**

9. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरणः–

➢ कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों का वितरण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। इससे वर्ष 2006–07 में विभागीय शालाओं में अध्ययनरत्, 2248591 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए हैं।

➢ विभागीय संस्थाओं के कक्षा 9 से 10वीं में अध्ययनरत् समस्त छात्राओं को हाईस्कूल तक की शिक्षा के प्रति रूझान एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2006–07 में 58441 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इस हेतु 78.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है।

10. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :–

1 **चावल की गुणवत्ता** :– चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निकटस्थ उचित मूल्य के दुकानों से ग्राम सरपंचों के द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिमाह प्राप्त किया जाता है। चावल की गुणवत्ता औसतन अच्छी रहती है।

2 **बर्तन कुकर इत्यादि सामग्री की उपलब्धता** :– खाना पकाने एवं खाना परोसने एवं खाना खाने के लिए उपयोगी बर्तन थाली, कटोरी, गिलास आदि की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से की जाती है, इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष प्रति शाला रू0 2000/– का अनुदान दिया जाता है, जिसे के तहत बर्तनों के साथ–साथ अन्य उपयोगी उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। बर्तनों की व्यवस्था पंचायत के माध्यम से उपलब्ध राशि से कई स्थानों में की गई है।

3 **भोजन की गुणवत्ता** :– विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन तैयार कर परोसने के निर्देश है। भोजन में प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त पोषक के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। भोजन की गुणवत्ता की चेकिंग ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों/क्षेत्रीय अधिकारियों व बच्चों के माताओं के संगठनों एवं महिला स्वसहायता समूह के द्वारा समय–समय पर की जाती है।

4 **सातों दिन भिन्न–भिन्न भोजन देना** :– भोजन में विविधता लाने के उद्देश्य से सप्ताह के सातों दिनों के लिए मीनु तैयार करने के निर्देश दिए गए है। तैयार किया गया निर्धारित मीनु स्कूल शालाओं के नोटिस बोर्ड पर लिखा जायेगा। विद्याथियों को फल, मीठाई, खीर दिए जाते है।

11. छात्र भोजन सहाय योजनाः–

- भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई हैं।
- इसके अंतर्गत प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 200/– रूपये उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि पूर्व से प्राप्त हो रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।
- योजना के तहत बजट प्रावधान एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

वर्ग	प्रावधान	भौतिक लक्ष्य
अनुसूचित जाति	52	2500
अनुसूचित जनजाति	150	5500
योग –	**202**	**8000**

12. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदानः–

- अनुसूचित जाति, जनजाति के हितार्थ कार्य कर रही अशासकीय संस्थाओं को अनुदान नियम 1985 यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इस हेतु वर्ष 2006–07 में प्रावधान निम्नानुसार है :–

अनुदान प्राप्त संस्थाएं,	प्रावधान	आबंटन
33	**1229.81**	**911.00**

13. स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान :–

- भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव पर विचार कर भारत सरकार की ओर अनुशंसा प्रेषित करने हेतु ''सचिव स्तरीय समिति'' गठित है।
- अब तक समिति के द्वारा 08 स्वैच्छिक संगठनों के राशि रूपये 386.53 लाख के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं ।

14. विश्व खाद्य कार्यक्रम :–

- सरगुजा एवं जशपुर जिले में दिसम्बर 2004 से संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत ''शिक्षा के लिए अनाज योजना'' में प्राथमिक शाला के बच्चों को सुबह के नाश्ते में ''रेडी टू ईट फूड'' के रूप में 75 ग्राम उर्जायुक्त बिस्किट निःशुल्क प्रदान किया जा रहें है। इस कार्यक्रम से विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, तथा इससे लगभग 2686 प्राथमिक शालाओं के 156910 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है।
- योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय में प्राप्त सामग्री का शालाओं तक परिवहन एवं भंडारण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है।

अन्य योजनाएं :–

1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अन्तर्गत राहत योजना :–

अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके उनके पुर्नवास से संबंधित विषयों के लिए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–1989) लागू किया गया है।

उक्त अधिनियम के अनुसार अत्याचार के अपराध इस प्रकार है :–

अखाद्य या घृणा जनक पदार्थ पीना या खाना, क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षृब्ध करना आदि, अनादर सूचक कार्य सदोष भूमि अधिभोग लेना या उस पर कृषि करना आदि भूमि, परिसर या जल से संबंधित

बेगार या बालाश्रम या बधुंवा मजदूरी, मतदान के अधिकार के संबंध में, मिथ्या, दोषपूर्ण या तंग करने वाली विविध कार्यवाही, मिथ्या, तुच्छ जानकारी अपमान अभित्रास, किसी महिला की लज्जा भंग करना, महिला लैंगिक शोषण, पानी गंदा करना, मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकारी से वंचित करना, किसी के निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना, मिथ्या साक्ष्य देना, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष से उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध करना, किसी लोक सेवक से उठाई गई हानि (क) 100 प्रतिशत असमर्थता (ख) 100 प्रतिशत असमर्थता, हत्या/मृत्यु, नरसंहार, बालात्संग, सामूहिक बालात्संग, गेंग द्वारा किया गया बालात्संग, अस्थाई असमर्थता और डकैती, पूर्णता नष्ट करना/जला हुआ मकान।

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुंचाने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 बनाया गया है। इस नियम के अन्तर्गत आकस्मिकता नियम योजना–1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों का राहत एवं पुर्नवास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सहायता हेतु निम्न अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति एवं परिवार पात्र है :–

1 गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न के द्वारा शारीरिक अथवा सांपत्तिक अथवा दोनों के प्रकार की हानि उठाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य अथवा परिवार।

2 गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति अथवा परिवार।

3 जिसके विरूद्ध अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) या 3 (2) के अंतर्गत उत्पीड़न किया जाएं।

4 यदि बलात्कार के परिणामस्वरूप महिला की मृत्यु हो जाये उस महिला के पति अथवा उत्तराधिकारी।

5 गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के द्वारा रोजगार से संबंधित उपकरण, औजार मशीनरी आदि नष्ट की गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए 8 जिलों में विशेष थाना (जिला–रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा) स्थापित किए जाकर कार्यरत है, शेष अजाक प्रकोष्ठ (जिला–कबीधाम, महासमुन्द, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा)

उपरोक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष न्यायालय स्थापित (जिला–रायगपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, सरगुजा) किए जाकर कार्यरत है।

अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्यवन के पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुर्नवास तथा उनसे संबंद्ध मामलों पर विचार हेतु राज्य स्तरीय सर्तकता एवं मानिटरिंग समिति गठित है। जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री है इसी तरह जिला स्तर पर जिला स्तरीय एवं मानिटरिंग समिति गठित है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर है।

31.12.2006 की स्थिति में प्रगति निम्नानुसार है :–

क0	योजना का नाम	प्रदाय आवंटन	कुल व्यय	भौतिक उपलब्धि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अनु.जा. / ज.जा.(अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुर्नवास	24.00	24.00	150 परिवार 154 परिवार
2	अर्न्तजाति विवाह प्रोत्साहन	–	–	–
3	अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविरों का आयोजन	–	–	–
4	अस्पृश्यता निवारणार्थ प्रचार–प्रसार	–	–	–
	योग	**24.00**	**24. 00**	

2. राहत योजनाः–

विपत्ति किसी को बताकर नहीं आती जब आती है तो गरीब एवं असहाय लोगों को और दुर्बल बना देती है ऐसी विपत्ति के समय पर प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विपत्ति प्रभावित व्यक्तियों को जिला कलेक्टर के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदाय किया जाता है। जिसे आदिवासी अनुसूचित जाति राहत योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 में अब तक 1492 व्यक्ति लाभान्वित हुए है तथा रूपये 3076500 / – की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया गया है।

4.सम्मान एवं पुरस्कार :–विभाग द्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय पुरस्कार स्थापित किये गये है–

1 **शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान** :– अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले दो व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रतिवर्ष एक–एक लाख रूपये का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है।

2 **गुरूघासी दास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुस्कार** :– सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान हेतु उत्कृष्ठ कार्य वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रतिवर्ष राज्य स्थापना उत्सव अवसर पर प्रदान किया जाता है। पुरस्कार दो व्यक्तियों/संस्थाओं को एक–एक लाख रूपये प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

3 **स्व0 हाजी हसन अली पुरस्कार** :– उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाओं तथा साहित्य साधना को सम्मानित करने हेतु एक–एक लाख रूपये के प्रतिवर्ष दो पुरस्कार प्रदान किये जाते है।

उक्त तीनों पुरस्कार राज्य स्थापना उत्सव के अवसर पर प्रदान की जा चुके है।

5. आदर्श शाला पुरस्कार :–

वर्ष 2005–06 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वस्थ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना है ताकि विद्यालय के सर्वागीण शैक्षणिक परिदृश्य में सुधार हो तथा विद्यालयों में अन्य वर्गो के विद्यार्थियों के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो सके।

योजना के तहत् चयनित शालाओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में राशि रूपये 3.00 लाख द्वितीय पुरस्कार राशि रूपये 2.00 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रूपये 1.00 लाख दिया जायेगा। योजना के कियान्वयन हेतु राशि रूपये 7.00 लाख का प्रावधान है।

6.सांस्कृतिक महोत्सव :–

1. शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव :–

- शहीद वीर नारायण सिंह के स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान, जिला–रायपुर में किया जाता है।
- इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।
- प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम (राशि रूपये 1.00 लाख), द्वितीय (राशि रूपये 0.50 लाख) एवं तृतीय पुरस्कार (राशि रूपये 0.25 लाख) दिया जाता है।
- उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीरनारायण सिंह की शहादत को चिरस्मणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

2. गुरू घासीदास लोककला महोत्सव :–

- वित्तीय वर्ष 2006–07 में ''गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव'' का आयोजन 18 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक व्यापक रूप में किया गया। गुरूघासी दास की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया।
- इस वर्ष उक्त महोत्सव का आयोजन 30 एवं 31 दिसम्बर को रायपुर में किया गया, जिसका समापन मा.मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में सम्पन्न हुआ।
- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परंपरागत लोककला जैसे–पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारंपरिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम (राशि रूपये 1.00 लाख), द्वितीय (राशि रूपये 0.75 लाख) एवं तृतीय (राशि रूपये 0.50 लाख) पुरस्कार दिए जाते हैं।
- इस वर्ष इस योजना का क्रियान्वयन संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। महोत्सव क `आयोजन हेतु रूपये 81.00 लाख की राशि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई।

9. छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का गठन मध्यप्रदेश सहाकारी सोसायटी (पुर्नगठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक–2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक–04 सन्–2000) के अन्तर्गत किया गया है। यह निगम अनुसूचित जाति वर्ग के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सभी वर्गों के विकलांगों के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु उद्यमी विकास संस्थान की समस्त इकाई एवं प्रशिक्षण सह–उत्पादन केन्द्रों का विलय इस निगम में कर दिया गया है। इस निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंशपूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य के निर्धारित मापदण्ड में आने वाले हितग्राही क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग वर्ग, अल्पसंख्यक व सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत दी जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाऍं एवं प्रगति विवरण 2006–07

कमांक	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि हितग्राही	वित्तीय उपलब्धि दिसम्बर– 2006
1.	राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त निगम प्रवर्तित योजना	101	32.70 लाख
2.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त निगम प्रवर्तित योजना	89	274.46 लाख
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम प्रवर्तित योजना	270	90.00 लाख

क्रमांक	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि हितग्राही	वित्तीय उपलब्धि दिसम्बर– 2006
4.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम प्रवर्तित योजना	460	100.00 लाख
5.	अन्त्योदय स्वरोजगार योजना	261	18.09 अनुदान
6.	आदिवासी स्वरोजगार योजना	156	41.00 लाख
7.	मिनीमाता स्वावलंबन योजना	100	102.00 लाख
8.	अनुसूचित जाति कम्प्यूटर प्रशिक्षण	75	9.00 लाख
9.	अन्त्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (जनजाति)	588	79.39 लाख अनुदान
10	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त निगम प्रवर्तित योजना	162	246.66 लाख
	योग –	**2262**	**993.30 लाख**

भाग – चार

10. सामान्य प्रशासनिक विषय

(आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)

राज्य शासन के आदेश दिनांक 12.05.2004 द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर का गठन किया गया। इस संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैः–

- राज्य के आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृति, आर्थिक स्थिति एवं इनकी समस्याओं का अध्ययन करना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- आदिवासी संस्कृति का संरक्षण।
- जाति प्रमाण पत्र जारीकर्त्ता अधिकारियों एवं अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ विभिन्न विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- गलत/फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच करना।

गतिविधियों एवं उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	गतिविधियां	उपलब्धि
1.	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण।	विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर, पहाड़ी कोरबा एवं कमार जाति का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। विश्लेषण व प्रतिवेदन लेखन कार्य किया जा रहा है। बैगा का सर्वेक्षण जारी है।
2.	अनुसूचित जाति का सर्वेक्षण।	राज्य के सफाई कामगार परिवारों (9996)का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण प्रतिवेदन भाग पांच भेजा जा चुका है शेष भागों का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
3.	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक अनुसंधान।	विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर, कमार एवं बैगा का सामाजिक, सांस्कृतिक अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।
4.	प्रशिक्षण कार्य।	वर्ष2006–07 में जाति प्रमाण– पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए 03 दिवसीय 06 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाकर 94 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
5.	जाति प्रमाण–पत्रों की जांच	पंजीकृत प्रकरणों में से 40 प्रकरणों में जांच कार्य पूर्ण कर आदेश पारित किया गया।
6	जाति प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा महाविद्यालय में से आरक्षित सीट पर प्रवेश हेतु 3055 जाति प्रमाण–पत्रों की जांच की गई है। 213 प्रमाण–पत्र गलत/फर्जी पाया गया।

भाग – पांच

11. अभिनव योजनाएं

1. छात्र भोजन सहाय योजनाः–

कक्षा 11वीं से उपर कक्षा में अध्ययन करने वाले महाविद्यालयीन छात्र होते है। इनमें सामान्य पाठ्यक्रम से लेकर विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि संकाय के छात्र सम्मिलित है। महाविद्यालय छात्रों की शारीरिक मानसिक वृद्धि में इसी काल में सर्वाधिक होने के फलस्वरूप संतुलित एवं पौष्टिक भोजन आवश्यक होता है। भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाते है। छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक–मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 200/– रूपये उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि पूर्व से प्राप्त हो रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।

2. जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना :–

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने वाले मंहगे पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं की मंहगी फीस के कारण इन विद्यालयों में उच्च सम्भ्रान्त परिवार के बच्चे ही प्रवेश ले पाते है। प्रतिभावान गरीब आदिवासी छात्र इससे वंचित रह जाते है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के माध्यम से प्रतिभावान आदिवासी छात्रों को राज्य स्तर पर चयन कर, राज्य एवं राज्य के बाहर के चयनित श्रेष्ठ स्कूलों के कक्षा 6वीं 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश दिलाया जाता है। इन स्कूलों का सम्पूर्ण व्यय विभाग वहन करता है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में 150 छात्र/छात्रायें विभिन्न स्कूलों में प्रवेशित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में रूपये 350.00 लाख प्रावधान है।

3. सरस्वती सायकिल प्रदाय योजना :–

आदिवासी क्षेत्रों के भोगोलिक स्थिति नदी, पहाड़ ग्रामों से ग्राम तक की दूरी एवं विरल जनसंख्या के कारण छात्रों की शिक्षा बाधित होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की हाईस्कूल तक की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु सायकिल प्रदाय करने की योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2006–07 में सायकिल का क्रय मेसर्स एग्लो सायकल प्रा0लि0 लुधियाना से किया जा रहा है।

4. आदर्श शाला पुरस्कार :–

वर्ष 2005–06 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के हाईस्कूल/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वस्थ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना है ताकि विद्यालय के सर्वोगीण शैक्षणिक परिदृश्य में सुधार हो तथा विद्यालयों में अन्य वर्गो के विद्यार्थियों के साथ अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो सके।

योजना के तहत् चयनित शालाओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में राशि रूपये 3.00 लाख द्वितीय पुरस्कार राशि रूपये 2.00 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रूपये 1.00 लाख दिया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 7.00 लाख का प्रावधान है।

5. छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्युशन) योजना :–

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे शिक्षकों का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते है, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर कर प्रावीण्यता बढ़ाना है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सकें। विषयों की कमजोरी को दूर करने हेतु विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकास खण्ड़ों पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2006–07 में इस हेतु 67.00 लाख प्रावधानित है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 50000 विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेगें।

6. व्यावसायिक पूर्व परीक्षा के मेरिट में स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति :–

अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जो छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल/व्यासायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के मेरिट में स्थान प्राप्त करते है उन्हे इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि एवं वेटनरी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थी को 2000/– प्रतिमाह एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता न रखने वाले विद्यार्थियों को 800/– प्रतिमाह प्रदान किये जाने की योजना है।

7. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना :–

छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत् आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति है। इस संस्कृति के अन्तर्गत उनकी विशिष्ट वेशभूषा, नृत्य, वाद्य यंत्र उनके धार्मिक पूजा पद्धति रिवाज आदि है। आदिवासी संस्कृति का एक मुख्य अंग आदिवासी नृत्य एवं संगीत है। ग्रामों में आदिवासी अर्थाभाव के कारण नृत्य एवं संगीत हेतु आवश्यक पारम्परिक वाद्य यंत्र एवं सह सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाते है, जिससे वे अपने इस विशिष्ट संस्कृति को बचाये रखने में असफल हो रहे है। इस संस्कृति के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्रामों के सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु सहायता दिया जाना है।

योजनान्तर्गत प्रति ग्राम प्रति सांस्कृतिक दल को रूपये 10000/–प्रदान किया जायेगा। इस योजना के लिए वर्ष 2006–07 में 20.00 लाख प्रावधानित है।

8. जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास :–

इस योजना अन्तर्गत जनजातियों के देवगुड़ी के विकास हेतु प्रति ग्राम रूपये 10000 प्रदान किया जाता है। यह कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाता है। इस वर्ष 1000 देवगुड़ी के विकास हेतु बजट में रूपये 100 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

9. अनुसूचित जाति वर्ग के सांस्कृतिक सामाजिक विकास हेतु मंगल भवन निर्माण :–

प्रदेश के 947 ग्राम अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम है। इन ग्रामों मे निवासरत् अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सांस्कृतिक–सामाजिक कार्यो को सम्पन्न करने एवं सामाजिक समानता में वृद्धि करने हेतु मंगल भवनों का निर्माण चरण बद्ध किया जाना है। इसके प्रथम चरण में रूपये 3.50 लाख प्रति भवन लागत के मान से 315 ग्रामों में रूपये 1102.05 लाख का प्रावधान वर्ष 2006–07 के बजट में प्रावधान किया गया था। एवं वर्ष 2007–08 में 434 ग्रामों हेतु राशि रूपये 1519.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

10. छात्रावासी विद्यार्थियों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनाः–

वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। विश्व में रोज आविष्कार, परिवर्तन एवं विकास हो रहे है। सूचनाओं एवं जानकारियों का आदान–प्रदान एवं संचार अति तीव्र है। यह सब कम्प्यूटर के कारण संभव हुआ है। इस बदलते हुए परिदृश्य से अद्यतन रहने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले कक्षा 6वीं से विद्यार्थियों को कम्प्यूटर फ्रेंडली बनाने हेतु कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान किये जाने की योजना बनाई गई है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्रावास/आश्रम में तीन माह का पाठ्यक्रम निर्धारित कर कम्प्यूटर का प्रेक्टिकल प्रशिक्षण दिया जायेगा।

छात्रावास/आश्रमों में अध्ययनरत् कक्षा 6वीं से उपर के विद्यार्थियों को छात्रावास में ही कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है। इस हेतु वर्ष 2006–07 के बजट में 360.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 30000 छात्र लाभान्वित हो सकेंगे।

11. युवा कैरियर निर्माण योजना :—

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों का एक प्राक्कचयन परीक्षा द्वारा चयन कर संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं एवं बैंकिंग भर्ती बोर्ड की सेवाओं की तैयारी कराने हेतु राष्ट्रीय स्तर की निजी कोचिंग संस्थाओं का चयन किया जाकर पायलेट बेसिस पर रायपुर में कोचिंग प्रारंभ किया गया है। इससे प्रति कोचिंग केन्द्र 75 विद्यार्थी लाभान्वित होगें, इस प्रकार विद्यार्थियों के कोचिंग पर प्रतिवर्ष लगभग 30.00 लाख व्यय संभावित है।

12. लोक मित्र (नाई पेटी) योजना :—

ग्रामों में बाल काटने के परम्परागत व्यवयासय को प्रोत्साहन देकर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2006—07 से प्रारंभ की गई है। योजना के प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, कबीरधाम एवं जांजगीर चांपा जिले के 10000 बाल काटने के व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस योजना को लोक मित्र योजना का नाम दिया गया है। वर्ष 2006—07 में इस योजना हेतु रूपये 50.00 लाख का प्रावधान है।

13. स्वस्थ्य तन — स्वस्थ्य मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :—

इस योजनान्तर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की व्यवस्था की जावेगी । यह योजना वर्ष 2007—08 के बजट में प्रस्तावित है।

14. एयर होस्टेज योजना :—

वर्ष 2006—07 में अनुसूचित जनजाति की 10 युवतियों के लिए एयर होस्टेज प्रशिक्षण की योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए प्राधिकरण मद अन्तर्गत रूपये 10.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। चयन की प्रक्रिया जारी है। प्रशिक्षण संस्था का चयन किया जा चुका है।

15. मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :—

कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र जो बोर्ड की परीक्षा में कम से कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते है, उन्हें रूपये 10,000 प्रति वर्ष एक मुश्त छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 500 विद्यार्थी एवं अनुसूचित जनजाति के 500 विद्यार्थी का चयन किया जायेगा।

भाग — छः

12. सारांश

1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात एवं उनके बहुआयामी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों का सर्वांगीण विकास शासन की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। इस हेतु विभाग द्वारा कई ऐसी प्रोत्साहनकारी योजनाओं का संचालन कर रहा है, जिनसे इन वर्गों का शैक्षणिक उत्थान हो साथ ही स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक उन्नति भी हो सके ताकि ये वर्ग शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर पर सक्षमता प्राप्त कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके।

विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भी कटिबद्ध है। इस हेतु क्षेत्र विशेष में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं सलाहकार मण्डल एवं विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण बनाए गए हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय ले सकें और विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हों।

विभाग द्वारा आदिवासियों और आदिवासी विकास के अपने प्रयत्नों को कहीं भी कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया है। इसके साथ ही विकास के पथ पर आगे बढ़ने की प्रकिया के दौरान आदिवासी हित में बेहतर और अच्छा काम करने की प्रतिबद्धता और इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर राज्य सरकार के विभागों और उपक्रमों ने पिछले अनुभवों से आगे के लिए लाभ उठाया है तथा नीतियों, योजनाओं एवं तौर–तरीकों में क्रमशः कई आधारभूत परिवर्तन भी किए है। परियोजना सलाहकार मण्डलों, अभिकरणों के लिए शासी समितियों का गठन तथा नीतियों के निर्माण में छत्तीसगढ़ आदिवासी मंत्रणा परिषद् की सतत सलाह ली जाना तथा आदिवासी शिक्षा में गुणात्मक सुधार पहुंचाने की दिशा में प्रारंभ की गई तैयारी इस अप्रोच के प्रमाण है।